न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/520

श्रीमती अनिता बाई धर्मपत्नी श्री राजेन्द्र कुमार आयु 35 वर्ष जाति मीणा निवासी ग्राम हिंगोनिया तहसील मांगरोल जिला बारां ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. हीरालाल आत्मज स्व0 लोडक्या जाति गुर्जर ।
2. कालूलाल आत्मज स्व0 लोडक्या जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम नीमादा उजाड तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. भैरूलाल आत्मज स्व0 प्रभूलाल जाति गुर्जर ।
4. रेवडी लाल आत्मज स्व0 प्रभूलाल जाति गुर्जर ।
5. मोडी बाई पुत्री स्व0 प्रभूलाल जाति गुर्जर ।
6. गोरधन बाई बेवा प्रभूलाल जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
7. मोत्या बाई पुत्री स्व0 लोडक्या जाति गुर्जर ।
8. मनभर पुत्री स्व0 लोडक्या जाति गुर्जर ।
9. गोबरी लाल दत्तक पुत्र मोतीलाल जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री ललित नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महावीर गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 17.05.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम नीमोदा उजाड तहसील दीगोद जिला कोटा की खाता संख्या 12 की खसरा नम्बर 199 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नम्बर 225 की 2.22 हैक्टर कुल दो किता की 2.46 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में से वादी व प्रतिवादी कम 1, प्रतिवादी

कम 2 से 5, प्रतिवादी कम 6, 7 व 8 प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे । वादग्रस्त आराजी में से प्रतिवादी कम 1 का नाम 1/2 हिस्से पर से डिलीट किया जावे । पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी अथवा उसके किसी भू–भाग को खुर्द–बुर्द, रहन, बेचान व अन्तरण नहीं करे तथा वादी को 1/6 हिस्से की भूमि को काश्त करने से नहीं रोके और न ही वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत करें ।

3. अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान ने लिखित राजीनामा पेश किया और राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करने का निवेदन किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2015 के द्वारा राजीनामा के आधार पर वाद डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2015 से व्यथित होकर अपीलान्ट अनिता बाई ने 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई ।

7. न्यायालय हाजा में दिनांक 10.05.2019 को पक्षकारान ने उपस्थित होकर एक राजीनामा पेश किया । राजीनामे को पक्षकारान ने न्यायालय में उपस्थित होकर सही होना स्वीकार किया है। अपीलान्ट और रेस्पोडेन्टगण की पहचान उनके अभिभाषकगण ने की ।

8. राजीनामे को बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया । राजीनामे में पक्षकारान के द्वारा यह कथन किया गया है कि राजीनामा से पूर्व में दर्ज चले आ रहे राजस्व रिकॉर्ड को ही नियमित रखा जावे और अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एंव डिक्री को निरस्त किया जावे ।

9. राजीनामे के कम में पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी हीरालाल के द्वारा एक दावा विभाजन और हक घोषणा का पेश किया गया था जिसमें प्रतिवादीगण कम 1 से 9 थे । दिनांक 22.05.2015 को वादी हीरालाल, प्रतिवादी कम 1 कालू लाल और प्रतिवादी कम 08 गोबरी लाल ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजीनामा पेश किया है और अधीनस्थ न्यायालय ने इस राजीनामे के आधार पर दावा डिक्री किया है । राजीनामा समस्त पक्षकारान के द्वारा तस्दीक नहीं किया गया है ।

10. उक्त अपील अपीलान्ट के द्वारा धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है और अपील में कथन किया गया है कि उनके द्वारा रेस्पोडेन्ट कम 2 कालूलाल से उनका हिस्सा 1/2 आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 20.01.2011 को क्रय की है और कब्जा प्राप्त किया है । नामान्तरकरण संख्या 263 दिनांक 06.02.2012 को तस्दीक हो चुका है । इसके बावजूद अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया गया

जिसको राजीनामे के आधार पर डिक्री करवा लिया गया । अपीलान्ट के द्वारा अपील के साथ विक्रय पत्र दिनांक 20.01.2012 की प्रति पेश की है जिसके अनुसार कालू पुत्र ग्यारसा ने वादग्रस्त आराजी में अपना 1/2 हिस्सा अपीलान्ट को बेचान किया है और नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 में अपीलान्ट का नाम सहखातेदार की हैसियत से दर्ज हो चुका है । अधीनस्थ न्यायालय में दावा दिनांक 27.01.2012 को पेश किया गया है जबकि कालू लाल के द्वारा विक्रय पत्र का निष्पादन उससे पूर्व ही दिनांक 20.01.2012 को किया जा चुका है । इस प्रकार दावा दायर होने से पूर्व वादग्रस्त आराजी में से 1/2 हिस्सा अपीलान्ट के द्वारा क्रय किया जा चुका था । तद्नुसार वह अधीनस्थ न्यायालय में आवश्यक पक्षकार थे, जिनको पक्षकार बनाये बिना दावा पेश किया गया और राजीनामे से दावे को निर्णित करवा गया । राजीनामा भी समस्त पक्षकारान के द्वारा निष्पादित नहीं किया गया ।

11. इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है । अपील में पक्षकारान के द्वारा राजीनामा पेश किया गया है जो इस न्यायालय के द्वारा तस्दीक किया जा चुका है । पेश किये गये इस राजीनामे के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु हम पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना आवश्यक समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.05.2015 निरस्त किया जाता है । पत्रावली में पेश किये गये राजीनामे को अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि नये सिरे से राजीनामा के परिप्रेक्ष्य में विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 26.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 17.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/5/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा